भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1055

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

किफायती और विश्वसनीय मेडिकल इमेजिंग समाधान

†1055. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में किफायती और विश्वसनीय चिकित्सा इमेजिंग की उच्च लागत और कम उपलब्धता को देखते हुए इसे सुलभ बनाने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए / उठाए जाने का प्रस्ताव है और 'मेक इन इंडिया-मेड फॉर द वर्ल्ड' की अवधारणा के अनुरूप उक्त क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है;
(ग) क्या भारत दुनिया के शीर्ष पाँच स्वास्थ्य सेवा निर्माताओं में से एक के रूप में उभरा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार देश में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को एक उभरते क्षेत्र के रूप में देख रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) भारत को अपना विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए /उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, भारत सरकार ने देश में किफायती और विश्वसनीय चिकित्सा इमेजिंग सोल्युशन विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

'मेक इन इंडिया-मेड फॉर द वर्ल्ड' के अनुरूप, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है और इसमें तेजी लाता है तथा शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप्स और संबंधित संगठनों को प्रयोगशाला स्तर के प्रोटोटाइप को पैकेज्ड मॉडल में बदलने और व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मदद करने हेतु सक्षम मंच प्रदान करता है।

इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), जो डीबीटी द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी धारा 8 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, किफायती चिकित्सा इमेजिंग सोल्युशनस सहित चिकित्सा उपकरणों के विकास में सहायता के लिए जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप्स, उद्योगों के साथ-साथ सहयोगी शैक्षणिक संगठनों के लिए विभिन्न योजनाएं और मिशन कार्यक्रम प्रदान करता है।

औषधि विभाग चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है:

(i) *चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना:* इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता के निर्माण के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करके, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके विश्वसनीय चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसका कुल बजटीय परिव्यय ₹3,420 करोड़ है और यह वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक पाँच वर्षों की कार्य-निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन अवधि है। इस योजना के तहत, चयनित कंपनियाँ रेडियोथेरेपी, इमेजिंग उपकरण, एनेस्थीसिया, कार्डियो-रेस्पिरेटरी और गहन परिचर्या तथा इम्प्लांट उपकरण क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर निर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री के लिए पाँच वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र हैं। आज की स्थिति के अनुसार, 21 ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ चालू हो कार्यशील हैं और 54 उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है, जिनमें उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरण जिन पर देश अत्यधिक आयात पर निर्भर रहा है, जैसे कि लीनियर एक्सेलरेटर, एमआरआई और सीटी स्कैन और मैमोग्राम मशीनें, सी-आर्म एक्स-रे मशीनें और अल्ट्रासाउंड मशीनें शामिल हैं। मार्च, 2025 तक इस योजना के अंतर्गत ₹10,413.40 करोड़ की संचयी पात्र बिक्री की गई है, जिसमें ₹5,002 करोड़ मूल्य की निर्यात बिक्री शामिल है।

(ii) *मेडिकल डिवाइस चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना:* इस योजना का उद्देश्य संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और लागत में कमी के लिए सामान्य अवसंरचना और परीक्षण सुविधा केंद्रों का निर्माण करना है, जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और सामर्थ्य बढ़ सके। इसके तहत, तीन पार्कों को मंजूरी दी गई है और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), उज्जैन (मध्य प्रदेश) और कांचीपुरम (तमिलनाडु) जिलों में विकास के उन्नत चरण में हैं। इनकी कुल परियोजना लागत ₹871.11 करोड़ से अधिक है, जिसमें सामान्य अवसंरचना सुविधा केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रत्येक को ₹100 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है, जिससे उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है।

(iii) *चिकित्सा उपकरण उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना:* यह योजना दिनांक 08.11.2024 को ₹500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों के निर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययनों के लिए सहायता, साझा अवसंरचना के विकास और

उद्योग संवर्धन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण उद्योग को मज़बूत बनाना है।

इन योजनाओं के बल पर, भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में उभरा है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(i) विगत छह वित्तीय वर्षों में, चिकित्सा उपकरणों का निर्यात 88% बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 2,138 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4,014 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(ii) कई उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरण, जैसे कैंसर चिकित्सा के लिए लीनियर एक्सेलरेटर (एलआईएनएसी) और कोबाल्ट मशीनें, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई), कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन, इमेजिंग के लिए मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड मशीनें, हृदय की स्थितियों के लिए वाल्व, ऑक्लूडर, ड्रग-एल्यूटिंग स्टेंट, बैलून कैथेटर और डिफिब्रिलेटर, श्वास सहायता के लिए उच्च-प्रवाह ऑक्सीजन उपकरणों के लिए वेंटिलेटर, गुर्दे के लिए डायलिसिस मशीनें, और घुटने और कूल्हे के इम्पलान्ट अब भारत में उत्पादित किए जा रहे हैं।

(iii) भारत 170 से अधिक देशों को चिकित्सा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।

*****